न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

9 / 2015
मएस : 2015 / 00489
श्रवण कुमार पुत्र श्री सावणा राम जाति बावरी साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। –:प्रार्थी

बनाम

दलीप कुमार पुत्र श्री सावणा राम जाति बावरी साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
राम चन्द्र पुत्र श्री सावणा राम जाति बावरी साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
श्रीमती मीरा बेवा श्री सावणा राम जाति बावरी साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
क्लेमा देवी पुत्री स्व. सावणा राम पत्नी देसराज जाति बावरी साकिन 6 पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. रेशमा देवी पुत्री स्व. सावणाराम पत्नी भादर राम जाति बावरी साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 21.07.2015

स्थितअधिवक्तागण
1. अजीत कुमार सुथार प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री हेतराम बिश्नोई अप्रार्थी सं. 1 ता 5 अधिवक्ता।

दिनांक :–29.08.2025

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पक्षकारान के पिता/ पति सांवताराम पुत्र श्री किशनाराम प्रार्थी सतझण्डा के नाम वाके चक 15 एस.ए.डी. पटवारी हल्का 13 एस.ए. डी. तहसील रायसिंहनगर के प.सं. 197 / 352 के मु.नं. 62 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.198 है. कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि स्वयं अर्जित थी जिस पर उसे हर प्रकार के हक हकूक प्राप्त थें। सांवला राम ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त भूमि के संबंध में एक वसीयतनामा दिनांक 24.05.2000 प्रार्थी के पक्ष में तहरीर तकमील करवाया जो वसीयतनामा पूर्णतया विधि अनुरूप था, जिसे माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.10.2013 के द्वारा सम्पूष्ट किया गया और इस संबंध में वसीयतनामा को खारिज किया गया। प्रार्थी के पक्ष में उक्त वसीयतनामा सांवलाराम के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में दिनांक 30.06.2008 को दर्ज हो चुका था। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था। उपरोक्त नामान्तरण कार्यवाही होने के पश्चात अप्रार्थी नं. 1 ता 5 हेतु एक वाद नम्बरी दिवानी प्रकरण सं. 46 / 2008 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर में प्रस्तुत किया। उक्त वाद के लम्बन दौरान तथाकथित स्थगन के आड़ में विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा कब्जा कर लिया गया और काबिज काश्त हुये। मगर प्रार्थी जो सीधा–साधा अहसाय व्यक्ति होने के कारण उनका सामना नहीं कर सका। अप्रार्थी दबंग व्यक्ति है जो बार–बार प्रार्थी को विभिन्न प्रकार से धमकी देते रहे है। उक्त दिवानी वाद में दिनांक 10.10.2013 को प्रार्थी के पक्ष में हुये वसीयतनामा के सम्पुष्ट होने और अप्रा[illegible] के बावजूद अप्रार्थीगण ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये [illegible] राजस्व कर्मचारी / अधिकारी के मिलीभगत कर विवादित भूमि [illegible] सांवलाराम के विरास्तन वारिसान के पक्ष में दिनांक 11.06.2014 [illegible] करवा लिया [illegible] पूर्णतया अवैधानिक अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अप्रार्थीगण को [illegible] प्रकार का कोई हक हकूक नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 ता 5 उक्त [illegible] काबिज है जिन्हे बेदखल कर न्यायहित में प्रार्थी को कब्जा दिलाया जाना न्याय[illegible] है। प्रार्थी विवादित रकबा पर सांवलाराम की उक्त वसीयतनामा के आधार पर विधिक खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अधिकार को घोषित करवा पाने को एवं तदनुसार राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण करवाने का विधिक अधिकारी है और इस बाबत अधिकारों की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 विवादित भूमि नाजायज रूप से काबिज है न विधिक अधिकारी भूमि पर काबिज रहने एवं उसका उपयोग उपभोग करने का किसी प्रकार उन्हे विवादित भूमि का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी उन्हे विवादित भूमि से बेदखल कर विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 विवादित भूमि पर नाजायज काबिज होकर बिला अधिकार उपयोग उपभोग कर बेजा लाभ प्राप्त कर रहें तथा प्रार्थी को वांछित लाभ से वंचित कर रहे है जो कतई न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अर्सा में प्राप्त लाभ को प्रार्थी उनसे बतौर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी हैं। उक्त लाभ को कम से कम आंकते हुये ठेका राशि के बराबर 10000/–रू प्रति बीघा प्रति वर्ष अप्रार्थी से प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व की गई माननीय उच्च न्यायालय में अपील में न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को 10000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से अदा करने की शर्त पर कब्जा बेदखली बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया था जो निरन्तर 2 चूक जो दिनांक 30.4.2015 तक निर्धारित राशि न करने पर हुई एवं इस कारण स्थगन आदेश स्वतः ही अपास्त हो चुका है। उपरोक्त आदेश अनुसार भी वर्तमान में कब्जा अप्रार्थीगण पूर्णतया नाजायज कब्जा के रूप में सम्पुष्ट हो चुका है एवं अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित है। इस वाद के निस्तारण में समय लगना वांछित हैं। प्रार्थी का वाद उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्य सिद्व है। इस दौरान अप्रार्थीगण बिला अधिकार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर लाभ प्राप्त कर रहे है तथा प्रार्थी को लाभ से वंचित कर रहे इसलिये न्यायहित में वाद लम्बन दौरान भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर व्यवस्था करवाई जानी न्यायोचित हैं ताकि बाद निर्णय वाद प्राप्त लाभ को प्रार्थी को दिलवाया जा सकें। अन्यथा अप्रार्थीगण से इस बाबत वसूली काफी कठिन हो जायेगी और प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा इसके बाद का मकसद समाप्त होते हुये गैरईन्साफी होगी इसलिये सुविधा का सन्तुलन उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर व्यवस्था करवाने में है इसलिये भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर व्यवस्था करवाने में हैं। इसलिये भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है। अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अप्रार्थीगण से विवादित भूमि के उपयोग उपभोग बाबत हर्जाना के रूप 10000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष जमा करवाया जावे, जो बाद निर्णय प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण आदेशित किया जाकर विवादित रकबा वाके चक 15 एस.ए.डी. पटवार हल्का 13 एस.ए.डी. के प.सं. 197/352 मु.नं. 62 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.198 है. <u>कमाण्ड/अनकमाण्ड</u> पर अप्रार्थी नं. 1 ता 5 द्वारा विवादित भूमि के उपयोग उपभोग नाजायज रूप से करने के कारण रिसीवर नियुक्त कर व्यवस्था करवाई जावे अथवा प्राप्त लाभ बाबत हर्जाना 10000/– रू. प्रति बीघा प्रति वर्ष अप्रार्थीगण से जमा करवाई

. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की तरफ श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा बतायी गयी तथाकथित वसीयत पर्जी व गलत तरीक से बनायी गयी थी, ऐसी वसीयत करने का अधिकारी सावलाराम को नहीं था। दावा अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर से खारिज होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। नामान्तरण तहसीलदार द्वारा किया जाने पर अपीलान्ट कोर्ट के द्वारा खारिज करा दिया था तथा मामला रिमाण्ड होने पर तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] निर्णय करते हुये वसीयतनामा खारिज करते हुये सांवलाराम के सभी वारि[illegible] विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया जिस[illegible] दिनांक 11.06.2014 को दर्ज किया गया इन्तकाल अनुसा[illegible] में इन्द्राज [illegible] गया। कब्जा काश्त 16 बीघा भूमि हम अप्रार्थीगण का है प्रार्थी [illegible] है। 16 बीघा भूमि का कब्जा काश्त हम अप्रार्थी[illegible] बंटवारा में अपने जीवनकाल में दिया गया था तभी से लगातार कब्जा काश्त 16 बीघा [illegible] हम अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। किसी न्यायालय द्वारा वसीयत को सम्पुष्ट नहीं किया गया। विरासतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तकाल नं. 514 दिनांक 11.06.2014 श्रीमान् तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड वसीयत प्रकरण सं. /11 निर्णय दिनांक 27.05.2014 अनुसार किया गया था जो विधिक प्रावधानों प्रार्थी को नवाई देते हुये किया गया था। तहसीलदार द्वारा वसीयत को अपने आदेश दिनांक 27 .2014 द्वारा खारिज कर दिया था तथा मृतक सांवलाराम की भूमि का विरासतन तकाल करने का आदेश दिया था। तथाकथित वसीयत दिनांक 24.05.2000 को हसीलदार रायसिंहनगर द्वारा निर्णय दिनांक 27.05.2000 को तहसीलदार रायसिंहनगर रा निर्णय दिनांक 27.05.2014 को तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा निर्णय दिनांक 27.05 014 खारिज करते हुये विरास्तन इन्तकाल का आदेश दिया गया, उसी अनुसार जामबन्दी दर्ज किया गया, इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है वसीयतनामा के संबंध में क्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर वसीयतनामा को खारिज कर दिया तथा विरास्तन न्तकाल का आदेश दिया गया। इसलिए प्रार्थी उसी दस्तावेज के आधार पर यह प्रार्थना त्र पेश नहीं कर सकता । वसीयत तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का वसर देने के बाद अपने आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा खारिज कर दी गयी है तथा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया था जिसके अनुसार विरास्तन न्तकाल मृतक सावलाराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज हो चुका है तथा जमावन्दी में सका इन्द्राज दर्ज है प्रार्थी का रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र निराधार है, क्योकि हम अप्रार्थी रिकार्ड खातेदार है तथा वसीयतनामा तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया गया है इसलिए प्रार्थी का रिसीवर का आधार गलत व बेइमानी हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण के जवाब के अतिरिक्त कथन में में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायसिंहनगर को पेश किया गया, जिस पर दिनांक 26.05.2008 को प्रार्थी के पक्ष में इन्तकाल करने का आदेश दिया गया था। माननीय अति. सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.05.2011 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.06. 2008 को निरस्त किया गया था, इसके अनुसार पुनः सांवलाराम के नाम जमाबन्दी में दर्ज किया गया था। सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गयी थी जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2013 को विड्रो कर लिये जाने पर खारिज किया गया था। इन्तकाल संख्या 514 दिनांक 11.06.2014 को दर्ज किया गया, इसके अनुसार जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं. 3–4 द्वारा हम अप्रार्थी के पक्ष में रजिस्ट्रड दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2014 को की जा चुकी है। तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 27.05.2014 को अपील प्रार्थी द्वारा श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। तथाकथित वसीयत के संबंध में इन्ही पक्षकारों के मध्य अति. सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के न्यायालय में विचाराधीन है जो विवादित भूमि तथाकथित वसीयतनामा के संबंध में तथ्य इन्ही पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है यह प्रार्थना पत्र उसी विषयवस्तु से संबंधित है इसलिए उसके विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र स्थगन का चलने योग्य नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज फरमाया

. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें एवं वाद पत्र के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने एवं अप्रार्थी सं. 1ता 5 द्वारा विवादित भूमि के उपयोग उपभोग नाजायज रूप से करने के कारण रिसीवर नियुक्त किया जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी [illegible] अपने पिता से जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा [illegible] या जावे।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यानपूर्वक [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित [illegible] संयुक्त प[illegible] की सहदायगी संपत्ति है इस मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा [illegible] 11.06.2014 को विरास्तन किये गये इन्तकाल को लेकर है प्रार्थी द्वारा [illegible] विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा गया है। वाद में निर्णय साक्ष्य/सबूत आदि लिए जाकर किया जाना है मूल वाद अभी विचाराधीन है। रिसीवर की कार्यवाही कठोरतम कदम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

ना लेकिन मूलवाद के निरतारण तक दोनों पक्षकारों को वादग्रस्त सम्पति के
रूपयोग/ क्षतिग्रस्त किय जाने/ हस्तारन्तरित किये जाने । बैयनामा करवाने से रोका
ना आवश्यक है। अतः दोनों पक्षों मूलवाद के निरतारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
र रिकार्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाने विधि संवत है।

–:आदेशः–

क्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के
रूद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाता है कि वाके चक 15 एस.ए.डी. पटवार हल्का 13
स.ए.डी. के प.सं. 197/352 मु.नं. 62 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.198 है.
कमाण्ड/अनकमाण्ड मूलवाद के निरतारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रिकार्ड व
मोके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णित होकर मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे
ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner